संख्या:90/2023/1325/35-4-2022/001-35-4099/195/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:83/2023/1325/35-4-2022/001-35-4099/195/2021 दिनांक 13 फरवरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्य हेतु आगामी किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के स्तम्भ में टंकण त्रुटि के कारण धनराशि त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	बचत	संशोधित आवश्यकता	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
दीवानगंज संगरौरा इटवा दुर्गादेई डीह सम्पर्क मार्ग	262.51	4.35	258.16	**26.00**	103.08

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:90/2023/1325(2)/35-4-2022/001-35-4099/195/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी,प्रतापगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,प्रतापगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,प्रतापगढ़।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ़।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in